

EMR - 272-29805289



ID: 2022109565

EAST CENTRAL RAILWAY

SONPUR/ DIV



Office Order No. :
21/2022

Office Of: कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(का०),
सोनपुर-841101
Date : 04-01-
2022

इस कार्यालय के भर्ती अनुभाग के टिप्पणी संख्या-KA/227/Appl./RRB/Panel/JE(C&W)/SEE/07, दिनांक-29.12.2021 व महाप्रबंधक(का)/हजीपुर के पत्रांक-ECR-HRD/Rect/RRB/Panel/ JE(Mech) दिनांक-20.03.2020 के आलोक में, RRB/Ranchi द्वारा चयनित निम्न प्रशिक्षु - JE/C&W(Mechanical)/(लेवल-06) को; वमयाई/समाडी/सोनपुर के पत्रांक-यां/प्रारंभिक/प्रशिक्षण/समाडी, दिनांक-28.12.21 के अनुसार RBE No.08/2017 के तहत दिनांक-04.12.2020 से 52 सप्ताह के प्रारंभिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के उपरांत JE/C&W(Mechanical), (लेवल-06) में प्रतिमाह देय वेतन रु 35400/- एवं अन्य मान्य भत्ता के साथ समाडी डिपो/सोनपुर में पदस्थापित किया जाता है।

Sr No.	Employee Details	Existing Particular	Revised Particular	Training Centre Details	Remarks
1	UTTAM KUMAR Emp ID: JGAHQQ	JUNIOR ENGINEER (C&W) BU: 3002934 Stipend:	JUNIOR ENGINEER (C&W) SONPUR/ DIV BU: 3002945 Level: 6 Basic: 35400	From: 04-12-2020 To: 27-12-2021 27.12.2021	Posted at SEE depot

उपरोक्त अभ्यर्थी ग्रुप-सी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू रेल अधिनियमों से शासित होंगे। इनकी नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि से मानी जायेगी। इन्हें रेलवे प्रादेशिक सेना इकाई में सात वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवा करनी होगी। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना इनके द्वारा दिए गये अभिलेखों के सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चारित्रिक जाँच में अनुकूल रहने की शर्त पर निर्भर करेगा। यदि जाँच रिपोर्ट प्रतिकूल पायी गयी, तो इनकी सेवा बिना किसी सूचना दिए समाप्त कर दी जायेगी।

नियुक्ति के पश्चात् कम से कम पांच वर्षों तक रेल सेवा करना अनिवार्य होगा यदि पांच वर्षों से सेवा कम करने में असमर्थ या रेल सेवा से हटना चाहते हों तो प्रशिक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा किये गए खर्च एवं दिए गए वृत्तिका प्रशासन को लौटाना होगा। ये दिनांक-29.12.2021 से इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि तक आदेश हेतु प्रतीक्षारत रहे हैं जिसे प्रशिक्षण अवधि का विस्तार मानते हुए वृत्तिका देय होगी। इस दौरान ये दिनांक-31.12.21, के एक (01) दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश (CL) पर रहे हैं।

उपरोक्त अभ्यर्थी रेल परिषद् के पत्र संख्या-एन /ई/III/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 से लागू नये पेंशन पद्धति से शासित होंगे।

उपरोक्त पदस्थापना आदेश सक्षम अधिकारी i.e. वमयाई/समाडी सोनपुर द्वारा आदेशित है।

Digitally Signed by BIJAY ENGINEER
Name: BIJAY ENGINEER
Date: 04-Jan-2022 16:06:34
Location: SEE/DRMP/SEE


File Reference No. : पत्रांक-:KA/227/YA/Mech/C&W/RRB-JE/SEE

Copy forwarded for information and necessary action to:

01. वमयाई/समाडी/सोनपुर, 02. ADME/C&W/SEE, कृपया कर्मचारी के योगदान की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये, 03. वमविप्र/सोनपुर, 04. मुकार्याधी-बिल/सोनपुर, 05. सम्बंधित कर्मचारी।



सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/सोनपुर



सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/सोनपुर

BIJAY ENGINEER
APO-III
FOR DRMP/SEE



Scanned with Oken Scanner